

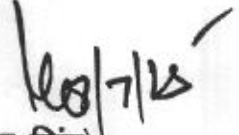
बिहार सरकार
वित्त विभाग

आ० सं०-40/अ०नि०-01/2025-7622/वि०

पटना, दिनांक-08/07/2025

कार्यालय आदेश

- विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-2291 दिनांक-03.03.2025 के द्वारा विभाग अंतर्गत पूर्व से कार्यरत 41 प्रशाखाओं का पुनर्गठन एवं नामकरण करते हुए कुल 55 प्रशाखाओं का गठन किया गया है। इस क्रम में प्रशाखा-40 (आगत निर्गत शाखा) का भी पुनर्गठन किया गया है।
2. प्रशाखा-40 को बैठक (विभागीय, राज्यस्तरीय, सेवांत लाभ इत्यादि), प्रशिक्षण, सभी प्रतिवेदन (विभागीय/गैर विभागीय), सभी प्रशाखाओं के मध्य समन्वय कार्य, प्राप्ति एवं वितरण, मुख्य निर्गत एवं डायरी कार्य इत्यादि आवंटित किया गया है।
 3. उक्त कार्यावंटन आदेश के आलोक में स्थापना-01, 02, पेंशन शाखा एवं अन्यान्य के द्वारा मानव बल से संबंधित जातिगत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन/कुष्ठ रोग पीड़ित) आंकड़े/प्रतिवेदन, रोजगार से संबंधित आंकड़े/प्रतिवेदन, सेवान्त लाभ के मामले/बैठक/प्रतिवेदन के साथ विभिन्न निदेशालयों/आयोगों/निगमों आदि से प्राप्त पत्रों को पीत पत्र के माध्यम से प्रशाखा-40 को अग्रेतर कार्रवाई/प्रतिवेदन आदि के लिए प्रेषित किये जा रहे हैं। जो मूल रूप से स्थापना या पेंशन शाखा एवं अन्य का कार्य है।
 4. अतएव स्पष्ट किया जाता है कि प्रशाखा-40 के द्वारा बैठक के रूप में मात्र विभाग से इतर विधान मंडल, उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, प्रबंधन संस्थान, प्रशासनिक संस्थान एवं अन्यान्य तथा अनेकानेक विभागीय समितियों जहाँ वित्त विभाग का सदस्य/प्रतिनिधि/परामर्शी/मूल्यांकन-कर्ता के रूप में भाग लेते हैं तथा बैठकों के उपरांत प्राप्त कार्यवाही प्रतिवेदन/अनुपालन प्रतिवेदन(वित्त विभाग के स्तर से जिनका अनुपालन होना हो)/सरकारी/गैर सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें वित्त विभाग के पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो/प्रतिभागी के रूप में नामित किया जाना हो से संबंधित पत्रों/संचिकाओं के निष्पादन के साथ प्रशाखाओं के मध्य समन्वय कार्य, प्राप्ति एवं वितरण, मुख्य निर्गम एवं डायरी कार्य किया जाना है।
 5. शेष बैठक/प्रतिवेदन/प्रशिक्षण आदि का कार्य संबंधित मूल प्रशाखाओं के स्तर से ही निष्पादित किया जायेगा। तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 6. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- आ० सं०-40/अ० नि०-01/2025.....7622/वि०, पटना, दिनांक-08/07/2025

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) के आप्त सचिव/सचिव (व्यय) के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

68/7/25

सचिव (संसाधन)

वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- आ० सं०-40/अ० नि०-01/2025.....7622/वि०, पटना, दिनांक-08/07/2025

प्रतिलिपि- वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय/निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय/निदेशक, सांस्थिक वित्त निदेशालय/कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना/सभी कर्मी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

68/7/25

सचिव (संसाधन)

वित्त विभाग, बिहार, पटना